न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3628—पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30—7—2014 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्पस्, इंदौर प्रकरण कमांक 72/बी—105/13—14/47—क (3) 48—ख.

1— चन्द्रकुमार पिता सदाशिव जायसवाल
2— रविकुमार पिता सदाशिव जायसवाल
3— तरूण कुमार पिता निरंजनकुमार जायसवाल
निवासीगण 2, अहिल्या पल्टन, इन्दौर ....आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा जिला पंजीयक, इन्दौर .... अनावेदक

श्री एच.के. सक्सेना, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/7/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 (4) के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्पस्, इंदौर द्वारा पारित आदेश 30—7—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आई.जी. रजिस्ट्रेशन के आदेशानुसार उप पंजीयक, इन्दौर द्वारा दस्तावेज कमांक 1024 दिनांक 16—9—2013 के द्वारा अंतरित की गई सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण किया गया । तद्नुसार उप पंजीयक द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्पस् को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन विलेख में अंकित बाजार मूल्य तथा देय मुद्रांक

शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के संबंध में आक्षेप लिया गया । उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि कलेक्टर आफ स्टाम्पस् के समक्ष प्रस्तुत की गई । कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा अधिनियम की धारा 48–ख के अन्तर्गत प्रकरण कमांक 72/बी–105/13–14/47–क (3) 48–ख दर्ज किया जाकर दिनांक 30–7–2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 50,34,500/– अवधारित करते हुए मुद्रांक शुल्क रूपये 3,52,765/– निर्धारित किया गया । इस प्रकार कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा कमी मुद्रांक शुल्क 1,21,765/– एवं पंजीयन शुल्क 13,920/– जमा करने के आदेश दिये गये । साथ ही अधिनियम की धारा 40 (1) ख के अंतर्गत 1,000/–रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल रूपये 1,36,685/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्पस् के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्पस् के प्रकरण में स्थल निरीक्षण की कोई तारीख नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति 100 वर्ष पुरानी है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्पस् के समक्ष आवेदकगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है । उनके द्वारा स्थल निरीक्षण कर आवेदक को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निराकरण करने हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्पस् को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था, परन्तु उसके द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया । यह भी कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा अधिनियम की धारा 47– क (3) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त को अपील होगी इस न्यायालय में निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत

शास्ति अधिरोपित की गई है केवल इसी के संबंध में निगरानी सुनी जा सकती है । मूल आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है ।

प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि आदेश में अधिनियम की धारा 47– क (3) का उल्लेख है परन्तु वास्तव में कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा अधिनियम की धारा 48–ख के अन्तर्गत ही आदेश पारित किया गया है, इसलिए इस न्यायालय को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्पस् के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा आवेदकगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किए गए हैं, और उनकी ओर से चन्द्रकुमार पेशी दिनांक 5–5–2014 को उपस्थित रहा है । तदोपरान्तु अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । प्रकरण में उप पंजीयक द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन दस्तावेज पर कम मुद्रांक शुल्क देय होना पाते हुए प्रकरण कलेक्टर आफ स्टाम्पस् को प्रेषित किया गया है, और कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा अपने आदेश में प्रश्नाधीन सम्पत्ति का विस्तृत विवरण उल्लिखित करते हुए रूपये 50,34,500/– बाज़ार मूल्य निर्धारित किया जाकर मुद्रांक शुल्क एवं पंचायत शुल्क रूपये 3,52,765/– देय होना अवधारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । चूंकि कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा प्रकरण अधिनियम की धारा 48–ख के अन्तर्गत दर्ज किया गया है, और आवेदकगण द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है, इसलिए अधिनियम की धारा 40 (1) ख के अन्तर्गत रूपये 1000/– शास्ति अधिपरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं है कि कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि कलेक्टर आफ स्टाम्पस् के समक्ष आवेदकगण की ओर से चन्द्रकुमार उपस्थित हुआ है, और उसके बाद उसके अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । उनका यह तर्क भी उचित नहीं है कि कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है, क्योंकि स्थल निरीक्षण की कोई तारीख प्रकरण में नहीं है, और प्रश्नाधीन सम्पत्ति 100 वर्ष पुरानी है, कारण जैसा कि ऊपर

उल्लेख किया गया है कि उप पंजीयक द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर ही बाजार मूल्य एवं मुद्रांक शुल्क तथा पंचायत शुल्क प्रस्तावित किया गया है, और प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन सम्पत्ति 100 वर्ष पुरानी होने का कोई उल्लेख नहीं है । इस प्रकार कलेक्टर आफ स्टाम्पस् द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्पस्, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर